रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941
No. 176] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल शुल्क (3)/2019.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में, —

(क). विनियम 2 में उप विनियम (1) में खंड (ज) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, नामतः :—

"(ज)" "शुल्क समीक्षा" से उप-खंड (ड़) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रारंभिक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क अवधि की समाप्ति के पश्चात पाँच उत्तरोत्तर वर्षों की समाप्ति के पश्चात की जाने वाली प्रथम शुल्क समीक्षा के साथ बोर्ड द्वारा प्रत्येक पाँच उत्तरोत्तर वर्षों के पश्चात यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क की समीक्षा अभिप्रेत है:

बशर्ते शुल्क समीक्षा के समय इस प्रकार निर्धारित यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क अगली शुल्क समीक्षा तक की अवधि के लिए लागू होगा:

बशर्ते दो शुल्क समीक्षाओं के बीच का अंतर उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निरंतर दो वित्तीय वर्षों से कम न हो जिसमें अंतिम शुल्क निर्धारण हुआ हो;

बशर्ते शुल्क की समीक्षा प्रथम अनुसूची ए के खंड 9 (9) के प्रावधानों के अनुसार पहले भी की जा सकती है;

ख. अनुसूची क में, खंड 9 में उप खंड (4) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित होगा, नामतः :—

"(4) अनंतिम प्रारंभिक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क, अंतिम प्रारंभिक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क और शुल्क समीक्षा के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में भिन्नता के कारण समायोजन डीसीएफ गणना में बनाना होगा और व्युत्पन्न शुल्क अगली समीक्षा तक भावी आधार पर ग्राहकों से वसूला जाएगा अर्थात शुल्क, बोर्ड द्वारा शुल्क आदेश जारी किए जाने के (जिसमें क्षेत्रीय शुल्क के लागू होने की स्थिति में क्षेत्रीय शुल्क) अगले महीने के पहले दिन से लागू होगा।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञान-III/4/असा./62/19]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 807 (अ), दिनांक 20/11/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 986 (अ), दिनांक 20/12/2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)11/फ़ाइनल शुल्क फाइलिंग, दिनांक 30/05/2012, फा.सं. पीएस/एसईसीवाय./एम(सी)/2012, दिनांक 13/9/2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम (सी)/48, दिनांक 17/02/2014, फा.सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/100, दिनांक 27/02/2014, फा.सं. एल-मिस/VI/ I/2007, दिनांक 01/01/2015 और फा.सं. पीएनजेआरबी /एम(सी)/110, दिनांक 08/01/2016 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2019

F.No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely: —

1. These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —.

a. in regulation 2, in sub-regulation (1), for clause (h), the following clause shall be substituted, namely: —

"(h) "tariff review" means the review of the unit natural gas pipeline tariff after every five consecutive years by the Board with the first tariff review to be done after the end of five consecutive years after the end of the initial unit natural gas pipeline tariff period as specified under clause (e):

Provided that the unit natural gas pipeline tariff so determined at the time of any tariff review shall apply for the period up to the next tariff review:

Provided further that the gap between two tariff reviews shall not be less than two consecutive financial years after the end of the financial year in which last tariff fixation occurred:

Provided also that the tariff review can be done earlier in terms of provisions of sub-clause (9) of clause 9 of Schedule A.";

b. in Schedule A, in clause 9, for sub-clause (4), the following sub-clause shall be substituted, namely: —

"(4) The adjustment on account of variation in the provisional initial unit natural gas pipeline tariff, final initial unit natural gas pipeline tariff and tariff determined under tariff review shall be made in the DCF calculations and the derived tariff shall be charged from the customers on prospective basis till next review, that is, the tariff shall be applicable from the first day of the month, following the month, in which the tariff order (zonal tariff in case of applicability of zonal tariff) is issued by the Board.".

VANDANA SHARMA, Secy.

[Advt. III/4/Exty./62/19]

Foot Note : The Principal regulations were notified vide GSR 807(E), dated 20/11/2008 and amended vide GSR986(E), dated 20/12/2010, F.No.PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30/05/2012, F.No.PS/Secy./M(C)/2012, dated 13/09/2012, F.No.PNGRB/M(C)/48, dated 17/02/2014, F.No.PNGRB/M (C)/100, dated 27/02/2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015 and F.No. PNGRB/M(C)/110, dated 08.01.2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.28 19:20:09 +05'30'